**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1575**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाना**

**1575. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत में उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन का योगदान कितना है;

(घ) क्या वर्ष दर वर्ष यह योगदान घट रहा है अथवा बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख): वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के लिए कच्‍चे तेल के उत्‍पादन के वर्ष-वार ब्‍यौरे निम्‍नानुसार है :-

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | कच्‍चे तेल का उत्‍पादन (एमएमटी में) |
| 2014-15 | 37.46 |
| 2015-16 | 36.94 |
| 2016-17 | 36.01 |
| 2017-18 | 35.68 |
| 2018-19 | 34.20 |

(ग)  और (घ): राष्‍ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान देश के कुल सकल मूल्‍य वर्धन में नियत मूल्‍यों (2011-12) पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का योगदान क्रमश: 1.40% और 1.38% था।

(ड.): सरकार ने देश में तेल और गैस का अन्‍वेषण और उत्‍पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदा (पीएससी) व्‍यवस्‍था के तहत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्‍पष्‍टीकरणों के लिए नीति, खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति, कोल बैड मिथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए नीति, नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना, तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन, एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्‍लॉकों में उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं की कार्य प्रणाली को व्‍यवस्थित बनाने के लिए नीतिगत ढांचा, तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्‍साहित करने के लिए नीति, मौजूदा उत्पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं, कोल बेड मिथेन संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्‍वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा आदि शामिल हैं।

सरकार ने अन्‍वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्‍वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से फरवरी, 2019 में अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्‍य अन्‍य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्‍यादा प्राथमिकता देते हुए अन्‍वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और संविदा शर्तों को आसान बनाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्‍पादन अथवा राजस्‍व हिस्‍सेदारी के श्रेणी II और III के तलछटीय बेसिनों के संबंध में अन्‍वेषण ब्‍लॉकों की बोली लगाना, राजकोषीय प्रोत्‍साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना, विपणन और मूल्‍य निर्धारण की आजादी सहित गैस उत्‍पादन को बढ़ावा देना, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पूंजी को शामिल करना,  नामांकन क्षेत्रों में उत्‍पादन बढ़ाने की पद्धतियों हेतु सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्‍यादा आजादी देना, अनुमोदन की प्रक्रियाओं को व्‍यवस्‍थि‍‍त करना तथा इलै‍क्‍ट्रोनिक एकल खिड़की व्‍यवस्‍था के साथ कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना है।

\*\*\*\*